

# जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

समर्पित पर व्याहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से तो किंवा जावे वा  
कि जिसी अन्य व्याहारिकी के नाम से।  
उच्चाधिकार विभाग पर कहीं पूर्व में पर  
व्याहार कुल से तो यह क्रमांक एवं विवरण  
अवश्य लिखा जावे जिससे समिष्ट हो।



ग्राम : न्यालियर  
दूरध्वान : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फोन : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
न्यालियर  
क्रमांक-एफ/सम्बन्धता/2009/ 4945

दिनांक: 28/6/2012

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर से सम्बन्ध स्थानी समर्थ महाविद्यालय, न्यालियर (0751-4053333)को सब्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संबोधित बी.बी.ए. तृतीय वर्ष, बी.एस.-टी. तृतीय वर्ष, (आ.पा., रसायन, भौतिक, गणित), बी.एस.-टी. द्वितीय वर्ष, (अति. छूलोंकी, बॉडी, डायोडेक) पाठ्यक्रम कक्षा/ग्राहकों/लिप्तियों की अस्थायी लम्बद्वंद्वा हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत विभागुसार विरीक्षण समिति का जट्ठ किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिकारी महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. न्यालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)

(2) डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., न्यालियर।

(3) डॉ. समीर भाऊरन्त, उपाध्याय, वायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., न्यालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर सुन्तुक्, परोहर सारि, वाइल शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किबेन्ड तथा पिछले सब्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यव प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्द्ध/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में ट्यूट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्रावार्द्ध/अध्ययन सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संबोधक एवं सदस्यों से लम्पक स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संबोधक ने विरेन्द्रन है कि वे उक्त विधारित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति जट्ठ का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देखी के लिए महाविद्यालय लवं उत्तरदायी होगा। विरक्षणी सूचना आवृक्ष, उत्तर शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति लवं विरेन्द्र हो जायेगी और पुनः विरीक्षण समिति जट्ठ हेतु महाविद्यालय को दण्ड रखना रु. 25,000/- जमा करने होगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुरुषवाल विभाग जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए विभा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्द्ध/अध्ययन, संबोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक ने उपर्युक्त स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आवृक्ष उत्तर शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

उप-कुलसचिव (सम्बन्धता)